

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालन्दा।

Email ID-serwddnalanda@gmail.com.

Mob-8986915938

पत्रांक-299
प्रेषक,

नालन्दा, दिनांक-26/09/2025

ई0 संजीव कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, नालन्दा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, हिलसा।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष-4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत Pkg No. RRSMP/25-26 Hilsa/04 (Tender ID-143375) का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-मु030-1/निविदा-07-323/2025-1917 पटना, दिनांक-25.09.2025.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के अधीन शीर्ष-4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत Pkg No. RRSMP/25-26 Hilsa/04 (Tender ID-143375) का पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य आपके अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार Vishnu Construction. (BID ID-626527) को उनके द्वारा उद्धत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से -14.41 (चौदह दशमलव चार एक) प्रतिशत कम पर अर्थात् 3,90,01,893.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख एक हजार आठ सौ तिरानवे) रुपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-मु030 (अ030) 4515-01-791/2025 पार्ट-III-3680 अनु0 दिनांक-24.09.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

1. कार्य का निष्पादन शीर्ष-4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत के मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वादाहरण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए CMBD की कंडिका 34.1 के अनुरूप Performance Security के लिए तथा निविदा के समय CMBD की कंडिका 17.1 के अनुरूप Bid Security के लिए जमा की गई राशि का सत्यापन संबंधित बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा से पूर्व निविदाकार द्वारा समर्पित निविदा दस्तावेजों की विधिवत् जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। जाँच प्रक्रिया में कम से कम समय लगे, इसका ख्याल रखा जाय। बिना जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किये एकरारनामा नहीं किया जाय। एकरारनामा पश्चात् कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो इसकी पूरी जबाबदेही आपकी होगी।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय इसमें कमी पाई जाती है, तो उसके दर में सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशारानिक स्वीकृति एवं प्रावधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का नाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

Mukesh Kumar

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Hilsa

26/09/25
31/09/25

8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी।
9. बिटुमिन डुलाई का भुगतान वास्तविक दूरी से डुलाई या प्राक्कलन में स्वीकृत लीड दोनों में जो कम होगा, संवेदक को भुगतान हेतु अनुमान्य होगा।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।
11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल के निरीक्षणोंपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यदेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो कि एकरारनामा का भाग होगा।
13. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर कार्य पूरा की जाए।
14. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0/CMBD के अनुसार होगी।
15. सफल संवेदक के साथ CMBD की कंडिका-33.1 एवं 33.2 के अनुसार एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को CMBD की कंडिका 33.2 के अनुसार एक निश्चित समय सीमा दी जायेगी और उसके अंदर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थिति नहीं होने पर एकरारनामा के शर्तों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जायेगी।
16. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अंतर्गत की गई उपबंधित राशि से विकलित होगा।
17. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की पौचवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
18. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिब्बा सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत् निबंधन कराना आवश्यक होगा।
20. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जाँचोपरांत आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
21. विभागीय पत्रांक-14/अ0प्र0-03-21/2021-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रासंगिक पत्र में दिये गये संलग्न निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(ई0 संजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

नालन्दा/दिनांक-26/09/2028

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

ज्ञापांक-.....
प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

नालन्दा/दिनांक-26/09/2028

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल नालन्दा।

Mukesh Kumar

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Patna